21

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१८- निगरानी

१- अभिषेक जैन
२- अभिनव जैन } पुत्रगण अमरचंद जैन

निवासीगण जय स्तम्भ चौक, सतना, तहसील-
व जिला सतना-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

बिरुद्ध

श्रीमती सावित्री त्रिपाठी पत्नी शिवेन्द्र त्रिपाठी
निवासिन ग्राम-कर्चुलियान जिला रीवां-म०प्र०

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय मैहर जिला सतना दिनांकी-
२३-०२२१८ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९।
प्र०क्र० ३८।अ-१२।१७-१८ सीमांकन ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश एंव की गई कार्यवाही कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के समीपस्थ अभिलिखित भूमि स्वामी है । कानूनन प्रार्थी को सीमांकन किये जाने के सम्बन्धः मे लिखित सूचना देना विधिक आवश्यकता है । सीमांकन के पूर्व सीमांकन के समय की कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी गई, ऐसी स्थिति मे किया गया कथित सीमांकन एंव पारित विवादित आदेश किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

क्रमशः -----२

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सतना / भू.रा / 2018 / 01697

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
4 –4–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 38 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.2.18 के विरूद्व इस न्यायालय में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 18.1.18 को तहसीलदार मैहर जिला सतना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि ग्राम हरदुआ कला की आराजी नं0 23 / 1ख 2 / 1, 36 / 1क / 1क, 36 / 1क 1 / ख, 36 / 1ख / 2 / 2 रकवा 0.062 का सीमांकन करने का अनुरोध किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.2.18 को आदेश पारित किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4– आवेदक अधिवक्ता का मुख्यरूप से तर्क यह कि आवेदक सरहददी कास्तकार होते हुये भी उन्हें नियमानुसार सूचना नहीं दी गई है, मात्र सूचना पत्र में यह लेख किया गया है कि आवेदक को टेलीफोन से सूचना दी गई। आवेदक अधिवक्ता का तर्क यह कि	

म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की सूची में सूचना हेतु बनाये गये नियमों का पालन नहीं किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि सीमांकन से आवेदक के स्वत्व एवं हित प्रमाणित होते है ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी कहना है कि सीमांकन की कथित कार्यवाही तहसीलदार अथवा राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में भी नहीं की जाना अभिलेख से प्रमाणित हैं ऐसी स्थिति में मात्र पटवारी द्वारा जिन्हें सूचना देने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार तहसीलदार मैहर का आदेश दिनांक 23.2.18 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना दिनांक 10.2.18 की टेलीफोन से देना बताया गया है लेकिन किस नम्बर से सूचना दी गई है उसमें अंकित नहीं है। वैसे भी आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की सूची में सूचना हेतु बनाये गये नियमों का पालन नहीं किया गया है। आवेदक के हस्ताक्षर स्थल पंचनामा में भी अंकित नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 का पालन विधि पूर्वक नहीं किया गया है। आवेदक सरहददी कास्तकार है और उन्हें सूचना नियमानुसार देना चाहिये। ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129

– समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।''

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।''

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई––– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत

होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहियों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर

सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार तहसील मैहर जिला सतना के प्रकरण कमांक 38/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23.02.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये तथा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के प्रावधानों के नियमों का पालन करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य